2017/45

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –35 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
जगदीश पुत्र पांचाराम जाति बावरी निवासी भीलावास तहसील मेडता जिला नागौर		नायब तहसीलदार, मेडता।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री पांचाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राज वकील श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 22.05.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 10 / 2017 सरकार बनाम जगदीश अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.03.2017 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा भीलावास की सरहद में पुराना खसरा नम्बर 95 जिसका रकबा काफी बडा था। जिसके वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 187 रकबा 35.34 हैक्टेयर कायम हुवे। खसरा नम्बर 187 मे सें रकबा 2.43 हैक्टेयर जमीन पर अपीलांट के पिता पांचाराम का पुराना कब्जा रहवासी ढाणी होने के कारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अधिकार दर्ज होने से रह जाने से एंव तरमीम नहीं होने से मौका पर दो टुकडों में जमीन होने से एक टुकडा 10 बीघा का एंव दुसरा टुकडा 5 बीघा का होने से पांचाराम के दो पुत्र अलग–अलग होने से अपीलांट रामस्वरूप एंव जगदीश के अलग–अलग बंट सुदा कब्जा के सुदा होने से खसरा नम्बर 187 मे से रकबा 2.43 हैक्टेयर गैर मुमकिन मगरा की जमीन होने से एंव जमीन की कीमतें बढ जाने के कारण पटवारी हल्का एंव आर.आई हल्का पार्टी बाजी के कारण एंव उनको लोभ लालच नहीं देने के कारण पांचाराम द्वारा राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, मेडता के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी गलत रिपोर्ट दी एंव न्यायालय ने कठोर फैसला किया।

अदालत माहतहत का निर्णय खिलाफ कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होने से एंव वाकियाती एंव कानूनी भूल की है, जो जैर अपील खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 187 में सें रकबा 2.43 हैक्टेयर का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी मेडता न्यायालय में विचाराधीन है, मगर मौके पर पुरानी रहवासी ढाणी एंव पुराना कब्जा काश्त होते हुवे भी एंव मौके पर तरमीम नहीं होने के कारण अपीलांट को उक्त खसरा में सें रकबा 0.81 हैक्टेयर एंव अपीलांट के भाई जगदीश को 0.81 हैक्टेयर यानि कुल जमीन 2.83 हैक्टेयर जो कि अपीलांट के पिता के कब्जे काश्त की होते हुए भी अलग–अलग बंट होने से सभी भूमिहीन काश्तकार होने से जमीन को उपजाऊ करने के बाद लम्बे

समय तक कब्जा काश्त छुडाने की नियत से कठोर निर्णय किया है। अपीलांट के पिता पांचाराम एंव दोनो पुत्र भूमिहीन एवं अनूसूचित जाति के व्यक्ति है, पुरा परिवार खेती पर निर्भर है। फसल की कुर्की एंव नीलामी आदेश भी कानून के खिलाफ होने से अपील स्वीकार की जाना न्याय संगत है। तहसीलदार ने मौके की जांच कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं करवाई एंव पटवारी हल्का के बयानों से जिरह नहीं करवाई जो साक्ष्य, विधि में शुमार किया जाना न्याय संगत नहीं है। जनवरी 1971 तक के अतिक्रमणों का नियमन का प्रावधान का लाभ नहीं दिया जो दिया जाना कानून के प्रावधानों के खिलाफ होने से निर्णय जैर अपील खारिज योग्य है। सरकारी परिपत्र संख्या 6/16 रेवे/बी/ग्रुप–1/65 दिनांक 24.02.1965 के अनुसार छोटी पट्टी (छोटा टुकडा) का नियमन का प्रावधान होते हुए भी नहीं किया जाने से निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलांट को शहादत सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया एकतरफा में जल्दबाजी में निर्णय पारित किया। पटवारी रिपोर्ट एंव अदालत के आदेश में भी रहवासी ढाणी यथावत रखे जाने के आदेश है, पटवारी रिपोर्ट से पुराना कब्जा साबित होते हुए भी लाभ नहीं दिया जाने से निर्णय खारिज योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का निर्णय दिनांक 03.03.2017 का खारिज करने एंव खसरा नम्बर 187 वाके मौजा भिलावास तहसील मेडता में सें 0.81 हैक्टेयर अपीलांट के पक्ष में छोटा टुकडा जमीन नियमित करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा ग्राम भीलावास के खसरा नम्बर 187 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि पर बुवाई करके अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो स्थगन आदेश पेश किया वह ख0नं0 190 से संबंधित था जो कि हस्तगत प्रकरण के ख0नं0 187 से संबंधित नहीं था। अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह माना जा सके की वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं था। अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरा की भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। जहॉ तक जनवरी 1971 तक के अतिक्रमणों का नियमित करने का लाभ नहीं दिये जाने का अपीलान्ट का हस्तगत अपील में कथन है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया गया है और न ही कोई ऐसा विधिक साक्ष्य सबूत पेश किया गया है। हस्तगत अपील में भी अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो की अपीलान्ट की वादग्रस्त भूमि नियमित किये जाने योग्य हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि अनुसार पारित किया जाने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का बासनी सैजां द्वारा अपीलान्ट द्वारा ग्राम भीलावास के खसरा नम्बर 187 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा पर तारामीरा की फसल बुवाई करके अतिक्रमण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट नायब तहसीलदार मेडता के समक्ष प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा संख्या–10/2017 सरकार बनाम जगदीश दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी करने पर अपीलान्ट स्वयं ने दिनांक 20.1.17 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्धी

को शुद्ध किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी मेडता के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है।

खसरा नम्बर 187 में उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश पारित किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज या साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी पेश नही किये है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जवाब पर पटवारी हल्का बासनी सैजां से रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी हल्का बासनी सैजां ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.2.2017 के द्वारा अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही की जाना तथा पुनः वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना एंव खसरा नम्बर 187 में सें 0.81 हैक्टेयर पर अपीलांट को अतिचारी होने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व में भी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 187 की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर भौतिक रूप से बेदखली आदि की कार्यवाही की गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

जहॉ तक जनवरी 1971 तक के अतिक्रमणों को नियमित करने का लाभ नहीं दिये जाने का अपीलान्ट का हस्तगत अपील में कथन है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया गया है और न ही कोई ऐसा विधिक साक्ष्य सबूत पेश किया गया है। हस्तगत अपील में भी अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो की अपीलान्ट की वादग्रस्त भूमि नियमित किये जाने योग्य हो।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी मेडता के न्यायालय में पेश किये गये दावे (घोषणा एंव खातेदारी) की प्रति अपील के साथ पेश की है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा खातेदारी का वाद उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में जैरकार है। ऐसी स्थिति में भी वादग्रस्त भूमि को नियमित करने के संबंध में इस स्तर पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर